

an>

Title: Issue regarding privilege motion against Shri Shashi Tharoor, MP (LS).

माननीय सभापति : डॉ. निशिकांत दुबे जी ।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद । मैं रूल 222, जिसमें रिपोर्टिंग 227 है, उस रूल के अंतर्गत आईटी कमेटी के चेयरमैन डॉ. शशि थरूर जी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन लाने के लिए खड़ा हुआ हूँ । ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि अपोजीशन यहां पर पार्लियामेंट नहीं चलाने दे रही है । लेकिन ये कमेटी में वही चीजें डिसकस करना चाहते हैं, जिसके डिसकशन के लिए यहां पर सरकार तैयार है । लोक सभा और राज्य सभा में अपोजीशन तैयार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष जी सभा को चलाना चाहते हैं । ... (व्यवधान)

महोदय, मेरी बात केवल दो मिनट के लिए सुन लीजिए । ... (व्यवधान) वह पहले ही अखबार में चला जाता है, जो डायरेक्शन 55 के खिलाफ है । ... (व्यवधान) इसके अलावा भारत का संविधान यह कहता है ... (व्यवधान) आर्टिकल 94 और 96 यह कहता है कि हम इसके खिलाफ मोशन ला सकते हैं । ... (व्यवधान) इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आर्टिकल 94 और आर्टिकल 96 के तहत आप डॉ. शशि थरूर को इस कमेटी से निकालिए । ... (व्यवधान) चूंकि हम 17 लोगों ने उस पर साइन करके दिया है तो जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता है, तब तक इस कमेटी की मीटिंग नहीं होनी चाहिए । ... (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि इस पर लोक सभा और राज्य सभा में डिसकशन होना चाहिए । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मुझे आपका नोटिस मिला है । वह अध्यक्ष जी के समक्ष विचाराधीन है ।

... (व्यवधान)